

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : अरुण शर्मा

बनाम

प्रतिवादी : बसंतप्रभा

किस्म मुकदमा : वाद

प्रकरण संख्या : 100 / 19

दिनांक: 21.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो कराये जाने हेत पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में निहित 1/10 वां हिस्सा श्री भावेश चपलोत एवं श्री निर्मल चपलोत को विक्रय कर दिया जाने से वादग्रस्त आराजीयात में अब कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है जिससे उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रकरण इसी स्टेज पर विद्धो किया जावे।

वादी एवं वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं प्रार्थना का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर दिया जाने से वादी हस्तगत प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण विद्धो किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर फा.ट्रै.

गिर्वा-उदयपुर

